"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 126] रायपुर, शनिवार, दिनांक 30 मई 2009—ज्येष्ठ 9, शक 1931

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 मई 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-20/2009/वाक/पांच (31).— छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम की अनुसूची-2 के भाग-3 में निम्नलिखित संशोधन करती है :—

संशोधन

अनुक्रमांक 1 एवं 2 के सामने कॉलम (3) में अंक "22" के स्थान पर अंक "25" प्रतिस्थापित किया जाए.

2. यह अधिसूचना 1 जून, 2009 से प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 30 मई 2009

क्रमांक एफ-10-20/2009/वाक/पांच (31).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-20/2009/वाक/पांच (31), दिनांक 30-5-2009 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

Raipur, the 30th May 2009

NOTIFICATION

No. F-10-20/2009/CT/V (31).—In exercise of the powers conferred by section 15-A of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government hereby makes the following amendment in part-III of Schedule-II of the said Act :—

AMENDMENT

1. In column (3) against S. No. 1 and 2 for the figure "22" the figure "25" shall be substituted.

2. This Notification shall come into force from 1st June, 2009.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
V. K. RAI, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.